

8. पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य
1. प्रधान
2. वरिष्ठ उपप्रधान
3. उपप्रधान
4. महामंत्री
5. सहायक महामंत्री
6. वित्त सचिव
7. सहायक वित्त सचिव
8. संगठन सचिव
9. प्रचार सचिव
10. लेखा परिक्षक

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी के 10 सदस्य होंगे जिनका चयन पदाधिकारियों के परामर्श से प्रधान द्वारा किया जायेगा कार्यकारिणी समाज के वरिष्ठ सदस्यों को मुख्य संरक्षक व संरक्षक, सलाहकार भी नियुक्त कर सकती हैं इनका कार्य केवल मार्ग दर्शन करना होगा ।

9. बैठक : कार्यकारिणी की बैठक तीन महीने में होनी आवश्यक है महामंत्री, प्रधान की अनुमति से कार्यकारिणी की बैठक बुलायेगा तथा एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से/समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करेगा । बैठक का एजेन्डा सूचना के साथ तथा बैठक के दौरान भी बताया जायेगा ।
10. कोरम : कार्यकारिणी के कम से कम आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थित आवश्यक होगी तथा कम होने पर बैठक स्थगित कर दी जायेगी ।
11. निर्णय : सभी निर्णय कार्यकारिणी के 2/3 बहुमत से पास होने आवश्यक हैं ।

*31/11/19*

अध्यक्ष  
(संज्ञ) अक्टूबर-1971

*31/11/19*

अध्यक्ष  
(संज्ञ) अक्टूबर-1971

अध्यक्ष  
(संज्ञ) अक्टूबर-1971

*31/11/19*

*31/11/19*

*31/11/19*